तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र विनोद कुमार, निवासी – 18, खोड़ का बास, पाली 306401 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 48/2026 जीसीएमएस नं. :– 2026/91 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	
03.06.2026	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । अपीलाण्ट उपस्थित। रेस्पोडेण्ट का जवाब प्राप्त परन्तु वक्त बहस अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, पपाली ने जरिये पत्रांक/सचना अधिकार/2026/66 दिनांक 20.05.2026 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना चाहने बाबत् निवेदन किया। इस बाबत् सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 11(1) के तहत सूचना के प्रकटन किया जावे या नहीं किया जाने बाबत् पत्रांक 39/2026 दिनांक 27.03.2026 द्वारा व्यक्ति को कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया। जिस पर तृतीय पक्षकार आदिनांक तक अपनी सहमति/असहमति बाबत् अवगत नहीं करवाया। इस बाबत् कार्यालय के पत्रांक 40/2026 दिनांक 27.03.2026 द्वारा अपीलार्थी को भी अवगत करवा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने प्राप्त सूचना के संबंध में अपनी आपत्ति जाहिर की एवं अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का अपने प्रकरण सिविल अपील संख्या 9064–9065/2018 में पारित निर्णय प्रस्तुत किया। 5. हमने पत्रावली, अपीलाण्ट की बहस व रेस्पोडेण्ट द्वार प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना किसी तृतीय पक्षकार की व्यक्तिगत सूचना होने से अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। 6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 7. निर्णय आज दिनांक **03.06.2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। **(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	